IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सषक्तिकरण में सरकारी योजनाएँ : बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में

डॉ0 मधु कुमारी

गृह विज्ञान विभाग,

बी0 आर0 अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ;बिहारद्ध

भारत में आजादी की लड़ाई के पश्चात् नीति निर्माताओं और संविधान विशेषज्ञों ने महिलाओं के पिछड़ेपन के मर्म को समझा और उनकी सहभागिता देश के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं वरन् आवश्यक है, मानकर संविधान में बराबरी का दर्जा दिया। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा महिलाओं को सशक्त बनाना रहा है। भारतीय संविधान न केवल महिला–पुरूष समानता पर बल देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक सुनियोजित मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करते हैं, जिसमें महिला अधिकारों के भाव व्याख्या स्पष्ट दिखाई देते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता है। भारत में महिलाओं की संख्या लगभग 586 मिलियन है जो कि कुल आबादी का लगभग 48.5 प्रतिशत बैठता है। केन्द्र सरकार ने समाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी पक्षों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए जिस वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होती है भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रूपरेखा निम्न प्रकार परिलक्षित होती है।

अनुच्छेद 14 – राजनैतिक, आर्थिक और समाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर पर बल। अनुच्छेद 15 – लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित। अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं के पक्ष में सकरात्मक दृष्टिकोण। अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 – विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 – बलात्, बेगार और दुर्व्यवहार की मनाही। इत्यादि ऐसे अनेक संवैधानिक उपबंध एवं अधिनियम है जो महिलाओं को सषक्त बनाने में कारगर सिद्ध हुए हैं।

संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिनयमों का प्रयोग औपनिवेषककाल से ही किया गया। उनसे जुड़ी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में शुरूआती प्रयासों के तौर पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1925) और शारदा एक्ट (1929) अंग्रेजी हुकुमत द्वारा क्रियान्वित कर समाज को जागरूक बनाने में एक कदम था। इन अधिनियमों से यद्यपि कोई विशेष सफलता तो प्राप्त नहीं हुई परन्तु ये अधिनियम महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने में प्रेरणस्त्रोत साबित हुए। इससे पूर्व भारतीय समाज में महिलाएॅ न केवल पिछड़ी हुई थी बल्कि भेदभाव में उनका दर्जा दलितों के समान था। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को घर की चहारदीवारी में कैद करके सुनियोजित तरीके से अलग–थलग करने की जो नीतियॉ अहम स्वरूप चलाई गयी थी, उन्होंने सामाजिक संगठन में महिलाओं को सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस मर्म को आजादी के पश्चात् राष्ट्र के नीति निर्माताओं एवं विशेषज्ञों

ने गहराई से समझा और पाया कि महिलाएं अपने कारण नहीं वरन् सामाजिक व्यवहार के कारण पिछड़ रही हैं। जब तक सामाजिक परिवेश को बदलकर न्यायोचित एवं मानवोचित परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर दिया जाता तब तक न तो महिलाओं की दशा सुधारी जा सकती है और न ही राष्ट्र के विकास में उनके बेहतर योगदान की अपेक्षा की जा सकती है।

इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता पश्चात् महिला उन्मुख वातावरण के लिए सरकार ने उनके विशेष कार्यक्रम चलाये जिनमें से कुछ निम्नलिखित है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल –

कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए होस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972–73 से चल रही है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं (अकेली कामकाजी महिलाओं, ऐसी महिलाओं जिनके पति शहर से बाहर रहते हों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिलाओं आदि) रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरिक्षित और किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं। अपने आरम्भ से ही देश भर में लगभग 67284 कामकाजी महिलाओं को लाभ प्रदान करते हुए स्कीम के तहत 902 होस्टलों को स्वीकृति दी गई है।

रोजगार और प्रषिक्षण के लिए सहायता देने के कार्यक्रम (स्टेप) –

महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप) 1986–87 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परम्परागत क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन सम्बन्धी संपर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अर्न्तगत रोजगार के 10 परम्परागत क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं जो इस प्रकार है – कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मछली पालन, हथकरधा, हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग, रेषम कीट पालन, परती भूमि विकास और समाजिक वानिकी।

स्वावलंबन –

स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नौराड/महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, 1982–83 में समूचे देश में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य समूहों में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं ओर समाज के कमजोर वर्गो की महिलाओं को शामिल करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्वायत्त संगठनों, न्यासों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

स्वयंसिद्धा –

12 जुलाई 2001 को केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयंसिद्धा समूह आधारित योजना है। पूर्व में चल रही इन्दिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना को मिलाकर शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करना है। योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देष में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसे देष के 650 विकसखण्डों में संचालित किया गया। योजना के तहत 69615 स्वयंसहायता समूहों का गठन किया गया है जिनके 10.02 लाख महिला सदस्य है।

राष्ट्रीय महिला सषक्तिकरण नीति –

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001 भविष्य के लिए महिलाओं की अनूभव की गई। जरूरतों का समाधान करने और उनकी उन्नति, विकास और सशक्तिकरण के विषय में अभिव्यक्त लक्ष्य सहित एक कार्ययोजना के तौर पर बनायी गई थी।

स्वधारा –

वर्ष 2001–02 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वधारा योजना शुरू की गई जो कि कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए बनाई गई। इस योजना के तहत परित्यक्त महिलाएं, विधवाश्रमों में रह रही निराश्रित महिलाए, प्राकृतिक आपदा में जिंदा बच गई निराश्रित महिलाएं और आंतकवादी गतिविधियों से पीड़ित महिलाएं इस योजना की पात्रा हैं। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जानेवाली सेवाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श व्यवस्था शामिल है। इस समय देष में 311 स्वधारा गृह कार्य कर रहे हैं।

स्वर्णिम योजना –

भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु जो गरीबी–रेखा से नीचे परिवारों की है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देष्य से यह योजना वर्ष 2002 में संचालित की गई। इसके अंतर्गत 50 हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर उन्हें ब्याज की दर मात्र 4 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इन महिला उद्यमियों को ऋण वापस करने हेतु 12 वर्ष की लम्बी अवधि तय की गई है।

महिला समाख्या योजना –

इस कार्यक्रम की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अपने अधिकार और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना तथा क्रियान्वित करवाना है। इनके माध्यम से महिलाओं को षिक्षित किया जाता है ताकि वे परम्परागत और रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठकर समर्थ और निर्णय लेने वाली सषक्त नारी की भूमिका निभा सकें।

आषा योजना –

इस योजना की शुरूआत 11 फरवरी 2005 को की गई। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर एक आषा कार्यकर्त्ता की तैनाती का प्रावधान है। योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों में लागू किया गया है।

बालिका समृद्धि योजना –

2 अक्टूबर 1997 से आरम्भ इस योजना में 15 अगस्त, 1997 के बाद जन्मी बालिका के परिवार को ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला परिवार) बच्ची के जन्म के समय 500 रूपये की राशि (केवल दो लड़कियों तक) देने का प्रावधान है। इस बालिका के स्कुल जाने पर इस योजना में बालिका को एक छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति पहली कक्षा के लिए 300 रूपये तथा दसवीं कक्षा के लिए 1000 रूपये है।

बालिका प्रोत्साहन योजना –

वर्ष 2006–07 के वार्षिक बजट में घोषित इस योजना के अन्तर्गत कक्षा आठ पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रूपये एक मुष्त राशि दी जाती है।

किषोरी शक्ति योजना –

वर्ष 2001 में केन्द्रिय सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया। इस योजना को दो भागों में बॉटकर चलाया जा रहा है – पहली योजना ''गर्ल टू एप्रोच'' तथा दूसरी योजना ''बालिका मंडल योजना''। पहली योजना 11 से 15 वर्ष आयु की किशोरियों के लिए तथा दूसरी योजना 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए है।

राष्ट्रीय पोषाहार मिषन –

केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित इस योजना का मुख्य उद्देष्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की किशोरियों, गर्भवती और नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

जननी सुरक्षा योजना –

1 अप्रैल 2005 को शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना पूर्व में चल रही मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप है। वर्ष 2005–06 के बजट में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के एक उपांग के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण तथा शिशु जन्म उपरान्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना –

8 मार्च 2003 से शुरू इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 18–50 वर्ष की आयु की ग्रामीण महिलाओं को गम्भीर बिमारियों एवं उनके शिशुओं को जन्मजात अपंगता में सुरक्षा प्रदान करता है।

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना –

केन्द्र सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े (ईबीबी) केवल ऐसे विकासखण्डों में लागू की जाएगी जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम और लैंगिक भेदभाव स्तर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना –

केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में संसद से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया गया। अप्रैल 2008 से यह योजना पूरे देष में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या में कम से कम एक तिहाई महिलाअें को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।

उज्जवला योजना –

महिलाओं की खरीद–फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की षिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास और फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केन्द्र प्रायोजित व्यापक स्कीम उज्जवला का शुभारंभ 4 दिसम्बर 2007 को किया गया। इस योजना के पांच घटक है – रोकथाम, रिहाई, पुनर्वास, पुनःएकीकरण और स्वदेश भेजना। वर्त्तमान समय में कुल 207 परियोजनांए चल रही हैं जिनमें 104 पुनर्वास गृह शामिल है।

धनलक्ष्मी योजना –

मार्च 2008 में केन्द्र सरकार ने महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए 'धनलक्ष्मी' नामक योजना की शुरूआत की है। उसके तहत् महिला शिशु के जन्म से लेकर इसके विवाह तक विभिन्न अवसरों पर निश्चित राषि का हस्तान्तरण उसके परिवार को किया जाएगा।

राजीव गांधी किशोरी सषक्तीकरण स्कीम (सबला) –

भारत सरकार ने इस स्कीम की शुरूआत 2010–11 में की। इसके अंतर्गत 11–18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों का पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख और जीवन कौषल के बारे में भी शिक्षित करने का प्रावधान है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना –

प्रसूता एवं दुग्ध–पान कराने वाली माताओं के लिए 2010–11 में यह नई योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले दो जीवित बच्चों के छह माह की आयु तक तीन किश्तों में 4000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान छुट्टी की वजह से होने वाली वेतन हानि की प्रतिपूर्ति करना है ताकि उन्हें आर्थिक कारणों से गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक या उसके तुरन्त बाद काम पर न जाना पड़े।

महिलाओं के सषक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिषन –

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करके भारत के मानवीय राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल के रूप में 8 मार्च, 2010 को इसका गठित किया गया है। यह मिशन जहॉं कहीं भी उपलब्ध होता है। सहभागी मंत्रालय की मौजूदा संरचनात्मक व्यवस्थाओं का प्रयोग करता है और क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थान, सीएसओ, केन्द्रीय और राज्य सरकारें विभागों आदि के साथ काम करता है।

महिला किसान सषक्तीकरण योजना –

वर्ष 2010 में इस योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत कृषक महिलाओं और कृषि महिला मजदूरों को चयनित कर कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

प्रियदर्षिनी –

आई.एफ.डी. की सहायता से यह प्रायोजित परियोजना उत्तर प्रदेष के चार जिलों – श्रावस्ती, बहजराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर तथा बिहार के दो जिलों – मधुबनी और सीतामढ़ी के 13 ब्लॉकों में चलायी जा रही है। इसका उद्देश्य परियोजना क्षेत्र की महिलाओं और किषोरियों के कमजोर समूहों के समग्र सशक्तीकरण (आर्थिक एवं सामाजिक) हेतु महिला स्वसहायता समूहों के गठन और उन्नत आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना है। परियोजना के तहत एक लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है और परियोजना अवधि के समापन तक 2016–17 के दौरान 7200 स्वसहायता समूह बनाए जायेंगे।

जननी षिषु सुरक्षा कार्यक्रम –

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को प्रारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा रूग्न नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।

इस योजना के अन्तर्गत मुफ्त सेवा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं को दवाई एवं खाद्य, मुफ्त इलाज, जरूरत पड़ने पर मुफ्त खून दिया जाना, घर से स्वास्थ्य संस्थान की सुविधा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष एक करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम से माता एवं नवजात शिशुओं की रूग्णता और मृत्युदर में कमी आने की सम्भावना है।

केन्द्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपनी–अपनी परिस्थितियों में महिला विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया है।

मूल्याकंन –

शायद ही आज कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां महिलाएं अपनी उपस्थिति का आभास न करा रही हो। सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तर पर विगत छः दशकों के प्रयास पुरूषों के नजरिये में बदलाव लाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। फिर चाहे वह बदलाव बाध्यकारी नीतियों से या जागरूकता से ही क्यों न आ रहे हों। सामाजिक परिदृश्य में महिला मजबूर नहीं, मजबूत नजर आ रही है। अपने एवं परिवार से संबंधित निर्णयों में वह काफी हद तक केन्द्रीय भूमिकाओं का निर्वहन कर रही हैं। महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया है जिसमें वे संगठित होकर अपने सतत् विकास को प्राप्त कर रही हैं। महिला अधिकार की कसौटी पर खरी उतरने वाली पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के फैसले से अधिक महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। तदनुसार केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 27 अगस्त 2009 को संविधान की धारा 243 घ को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया ताकि पंचायत के तीनों स्तर की सीटों और अध्यक्ष के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकें। पंचायती राज मंत्री ने 26 नवम्बर, 2009 को लोकसभा में संविधान 110वां संशोधन विधेयक 2009 पेश किया। वर्तमान में लगभग 28.18 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस संशोधन विधेयक के बाद महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से भी अधिक हो जाने की आशा है।

ग्रामीण व शहरी निकायों में महिलाओं की सहभागिता को केवल उभारा ही नहीं है वरन् उनके लिए नेतृत्व के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। महिला अधिकारों ने सशक्तिकरण की दशा में जो बड़ा आधार तैयार किया है उसमें शिक्षा मील का पत्थर साबित हुई है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। अपनी क्षमताओं से महिलाओं कभी बढ़ने लगी है। अपनी क्षमताओं से महिलाओं ने रोजगार के सभी क्षेत्रों में न केवल दस्तक दे दी है वरन् मजबूती के साथ अपने अस्तित्व का आभास भी कराया है। कामयाबी की नई–नई मिसाले बन रही महिलाएं सशक्तिकरण के उदाहरण हैं। प्रत्येक स्तर पर उनकी आवाज को पहचान मिल रही है। इन्हीं अधिकारों की बदौलत सामाजिक बदलाव में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है जिसको पुरूष स्वीकार भी कर रहे हैं।

आज भी महिलाओं से जुड़े कानूनों का निर्माण पुरूष बाहुल्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जा रहा है जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है। अनेक प्रयासों के बावजूद व्यवस्थापिका में महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया, जिसका कारण पुरूषों में भ्रांति है कि ऐसा कर देने पर उनका राजनीतिक वर्चस्व न केवल समाप्त हो जाएगा बल्कि लोकसभा और विधानसभाओं में उनके प्रवेश की संभावनाएँ भी क्षीण हो जायेगी। इसके साथ एक घबराहट यह भी है कि नीति निर्माण की प्रक्रिसर में महिलाओं का अधिक से अधिक जुड़ना समाज को मातृसतात्मक न बना दे जिसके कारण पुरूष हाशिये पर न चला जाए।

बावजूद इसके महिला अधिकार और सशक्तिकरण भारतीय समाज की आवश्यकता है। किसी एक वर्ग को दबाकर विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाएं हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनकी तरक्की को किसी भय या शंका के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दोनों वर्गो का दायित्व एक–दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देना होना चाहिए। जहां पुरूष मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है वहीं महिलाओं को

भी परिवेश में उन दायित्वों का निर्वहन करना होगा जो अभी तक पुरूषों के लिए निर्धारित थे। महिलाओं के लिए यह राह मुश्किल अवश्य है किन्तु नामुमकिन नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

[1] कुरूक्षेत्र, मार्च 2015

[2] आहुजा, राम : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1995

[3] अग्रवाल, मीना : नारी–कल और आज, हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर।

[4] गुप्त, डॉ0 विश्व प्रकाश : राजनीति कोश, नई दिल्ली, नमन प्रकाशन, 2005

[5] भारतीय लोकतंत्र का कम्पनीकरण, अमर उजाला, 15 मार्च 2004